

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 22.10.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 1,090 रुपये बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 पप्पू कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 340/24 धारा 305,331(4) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त कासिम अली उर्फ छोटे को चोरी के 1,090 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक14/15.10.2024 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी मुकदमा के दुकान का शटर तोड़कर 8500/-रु0 नगद व 3500/- रुपये का सिगरेट चोरी कर लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

कासिम अली उर्फ छोटे पुत्र शान मोहम्मद निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 340 /24 धारा 305,331,317 भा0न्या0सं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 40/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 199/2028 धारा 3(1) यू0पी0 गैरेंस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 276/2017 धारा 380, 411, 457 भादवि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी के 1,090 रुपये

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 पप्पू कुमार चौकी प्रभारी पाण्डेहाता थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. प्रशि0उ0नि0 मो0 शादाब थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 विजेन्द्र चौधरी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. कां0 मनोज चौधरी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर